संगीता सिंह
बनाम
लखन साहु

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14– फारम स0 562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम, 129)

आदेश पत्रक .....से ..... तक

जिला– राँची, केस का प्रकार–विविध (संदिग्ध जमाबन्दी) वाद संख्या-04/2020–21

अंचल–सदर

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई, कार्रवाई के बारे में टिप्पणी : तारीख सहित

03/9/22

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षो को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदिका संगीता सिंह, पति–प्रभात कुमार सिंह द्वारा निनांकित विवरणी भूमि के अवैध कब्जे से मुक्त कराने हेतु आवेदन दिया गया है।

मौजा	थाना	खाता	प्लॉट	रकबा
सिरम	चुटिया	150	415 बी0	3 कट्ठा 8 छटाक

आवेदिका का कहना है कि दाखिल खारिज संख्या–5755, दिनांक–23.12.2011 मालगुजारी रसीद वर्ष 2019 तक निर्गत है जो मेरे नाम से (संगीता सिंह) निर्गत हैं। इस जमीन के उत्तर तरफ लखन साहू रहते है तथा दक्षिण तरफ मेरा जमीन है। आवेदिका का यह भी कहना है कि जब भी वह अपनी जमीन पर जाती है, तो लखन साहू एवं उनके परिवार के लोग जान से मारने की धमकी तथा गाली गलोज भी करते है। झारखण्ड उच्च न्यायालय से WP(C)-NO-1625/2012 तथा LPA.No.186/2015 बाद का फैसला मेरे (संगीता सिंह) के पक्ष में हो चुका है। इसकी शिकायत में चुटिया थाना में भी कर चुकी हूँ। आवेदिका का कहना है कि लखन साहू एवं उनके लड़के के द्वारा बार–बार हिंसा की धमकी दी जाती है। वर्तमान समय में किसी भी न्यायालय में कोई केस मुकदमा नहीं चल रहा है। आवेदिका के अनुसार WPC.NO.1625/2012 तथा LPA.No.186/2015 के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय (Judgement) हुआ है वह उसके पक्ष में हुआ है।

उसका प्रतिलिपि इस आवेदन के साथ संलग्न है।

अतः आवेदिका उक्त भूमि पर दखल कब्जा हेतु दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध करते है।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि वह उक्त वादग्रस्त भूमि को स्वंय खरीद करके दाखिल खारिज वाद संख्या–59/1973–74 नामांतरण कराया है। चूँकि यह रैयती भूमि है। अतः इस भूमि के दखल कब्जा के सुनवाई हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। उभय पक्षों के तर्क सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन एवं उभय पक्षों के कथन सुनने से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत मामला भू0 स्वामित्व एवं विवादित है। आवेदिका द्वारा उक्त भूमि पर दखल कब्जा हेतु दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया है, किन्तु वाद ग्रस्त भूमि में दखल–कब्जा हेतु सक्षम न्यायालय का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आवेदिका सक्षम न्यायालय से दखल–कब्जा हेतु आदेश प्राप्त कर दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। इसी निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

03/9/

अपर समाहर्त्ता
राँची।

03/9/

अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:35:29 +05:30
Location: 192.168.2.175